RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LIMITED.
(A State Government undertaking)
Head Office: 5th floor, KisanBhawan,LalKothi, Tonk Road, Jaipur-302015
Phone: 0141- 2744692, 0141-2744649, General
Fax No. 0141-2741924, ,E-Mail: rsfcsc@gmail.com
CIN : U63023RJ2010SGC033489

ई–बिड (E-Bid)

सुरक्षा गार्ड /चौकीदार/ वाहन चालक / सुपरवाइजर आदि की सेवाये उपलब्ध कराने हेतु ई– बिड सूचना

(Two Bids System)
Bid form Cost Rs. 1000/- (Non-Refundable)
RISL Processing Fees Rs. 500/- (Non-Refundable)

वित्त विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 2(1)वित्त/जीएण्डटी– एसपीएफसी/ 2017 दिनांक 18.12.2020 एवं 23.12.2020 द्वारा RTPP Rule 2013, के नियम 42 (2) में संशोधनानुसार बिड सिक्युरिटी राशि के स्थान पर मानक प्रारूप में घोषणा पत्र (Declaration)(50/– रू स्टाम्प ड्यूटी तथा इस स्टाम्प ड्यूटी की राशि पर 30 प्रतिशत सरचार्ज देय) प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है।

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	समय
1	बिड प्रकाशन की तिथि	31.08.2021	
2	बिड प्रपत्र डाउनलोड शुरू करने की तिथि	बिड प्रकाशन की तिथि से	
3	बिड प्रपत्र प्रस्तुत (अपलोड) करने की प्रारम्भिक तिथि	01.09.2021	
4	बिड प्रपत्र डाउनलोड करने की अन्तिम तिथि	06.09.2021	सायंकाल 3:00 बजे तक
5	बिड प्रपत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	06.09.2021	सायंकाल 6:00 बजे तक
6	तकनीकी बिड खोलने की तिथि एवं समय	07.09.2021	सायंकाल 3:00 बजे तक
7	बिड प्रपत्र शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एवं बिड डिक्लयेरेशन (बिड सिक्युरिटी के स्थान पर) भौतिक रूप से प्रस्तुत करने की तिथि एवं समय (स्थान राराखानाआनि किसान भवन जयपुर)	07.09.2021	11:00 प्रातःकाल
8	वित्तीय बिड खोलने की तिथि	तकनीकी बिड की जॉच करने के पश्चात पृथक से अवगत करा दिया जावेगा	

S.No.	Details of Bid Documents	Page No.
1	E-Bid Notice	
2	Instructions for submission of E- Bid	
3	Check List –(Documents to be uploaded in Technical Cover)	
4	E- Bid form	
5	Terms & conditions of Bid & contract	
6	परिशिष्ठ– अ (वार्षिक टर्न ऑवर प्रमाण पत्र)	
7	परिशिष्ठ– ब (ई–बिडदाता द्वारा घोषणा)– 100/– नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर	
8	परिशिष्ठ– स (अनुबंध का प्रारूप)	
9	परिशिष्ठ– द (वित्तीय बिड प्रपत्र)– सिर्फ ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर बीओक्यू फार्म में भरा जावे।	

Scanned with CamScanner

RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LIMITED.
(A State Government undertaking)
Head Office: 5th floor, KisanBhawan,LalKothi, Tonk Road, Jaipur-302015
Phone: 0141- 2744692, 0141-2744649, General
Fax No. 0141-2741924, ,E-Mail: rsfcsc@gmail.com
CIN : U63023RJ2010SGC033489

क्रमांकः एफ 3 (1)/राराखानाआनि./संस्था/2011 दिनांक

आवश्यकतानुसार सुरक्षा गार्ड /चौकीदार/ सुपरवाईजर /वाहन चालक आदि उपलब्ध कराने हेतु ई–बिड सूचना

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. जयपुर मुख्यालय के लिए सुरक्षा गार्ड /चौकीदार/ सुपरवाइजर /वाहन चालक आदि की सेवाये एक वर्ष के लिए उपलब्ध कराने हेतु पंजीकृत संवेदको/ बोलीदाता / फर्मो से ई–प्रोक्योरमेन्ट (ऑनलाइन बिडिंग सिस्टम) के तहत द्वि–भाग (Two – Part /Two Envelopes) बिड बिना किसी शर्त के निम्न विवरणानुसार आमंत्रित की जाती हैः–

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की प्रकृति	मानव संसाधनो की अनुमानित संख्या	अनुमानित राशि (रूपये में) श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दरो पर राशि	बोली प्रतिभूति (Bid Security)	प्रोसेसिंग शुल्क (रू.)	बिड शुल्क (रू.)
1	सुरक्षा गार्ड / चौकीदार आदि	कुशल	03	6,00,000/–	घोषणा पत्र	500/–	1000/–
2	सुपरवाईजर	कुशल	01				
3	हल्के एवं भारी वाहनो /मोटर गाड़ियो के वाहन चालक (ड्राईवर) आदि	कुशल	02				

नोटः– वित्त विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 2(1)वित्त/जीएण्डटी– एसपीएफसी/ 2017 दिनांक 18.12.2020 एवं 23.12.2020 द्वारा RTPP Rule 2013, के नियम 42 (2) में संशोधनानुसार बिड सिक्युरिटी राशि के स्थान पर मानक प्रारूप में घोषणा पत्र (Declaration)(50/– रू स्टाम्प ड्यूटी तथा इस स्टाम्प ड्यूटी की राशि पर 30 प्रतिशत सरचार्ज देय) प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है।

Scanned with CamScanner

सुरक्षा गार्ड /चौकीदार/ सुपरवाईजर /वाहन चालक आदि की सेवाये उपलब्ध कराने हेतु उक्त ई–बिड की विभिन्न तिथियां निम्न प्रकार से है:–

क्र. सं.	विवरण	दिनांक	समय
1	बिड प्रकाशन की तिथि	31.08.2021	
2	बिड प्रपत्र डाउनलोड शुरू करने की तिथि	बिड प्रकाशन की तिथि से	
3	बिड प्रपत्र प्रस्तुत (अपलोड) करने की प्रारम्भिक तिथि	01.09.2021	
4	बिड प्रपत्र डाउनलोड करने की अन्तिम तिथि	06.09.2021	सायंकाल 3:00 बजे तक
5	बिड प्रपत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	06.09.2021	सायंकाल 6:00 बजे तक
6	तकनीकी बिड खोलने की तिथि एवं समय	07.09.2021	सायंकाल 3:00 बजे तक
7	बिड प्रपत्र शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एवं बिड डिक्लयेरेशन (बिड सिक्युरिटी के स्थान पर) भौतिक रूप से प्रस्तुत करने की तिथि एवं समय (स्थान राराखानाआनि किसान भवन जयपुर)	07.09.2021	11:00 प्रातःकाल
8	वित्तीय बिड खोलने की तिथि	तकनीकी बिड की जॉच करने के पश्चात पृथक से अवगत करा दिया जावेगा	

बिड प्रपत्र शुल्क के डिमाण्ड ड्राफ्ट /बैकर्स चैक रूपये 1000/– प्रबन्ध निदेशक राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि., जयपुर के पक्ष में देय हो तथा RISL प्रोसेसिंग शुल्क रू. 500/– प्रबन्ध निदेशक, आर.आई. एस.एल. जयपुर (M.D. RISL JAIPUR) के पक्ष में देय हो । तकनीकी रूप से सफल संवेदको /बिडदाता की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी जिसके लिए पृथक से यथा समय सूचित कर दिया जायेगा। बिड से संबंधित शर्ते एवं बिड दस्तावेज प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल eproc.rajasthan.gov.in तथा sppp.rajasthan.gov.in एवं निगम की वेबसाईट www.rsfcsc.org. पर देखी जा सकती है ।

महाप्रबन्धक (प्रशासन)

D/E Drive/L.N. Mathur/Gurad Tender 21

Scanned with CamScanner

RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LIMITED.
(A State Government undertaking)
Head Office: 5th floor, KisanBhawan,LalKothi, Tonk Road, Jaipur-302015
Phone: 0141- 2744692, 0141-2744649, General
Fax No. 0141-2741924, ,E-Mail: rsfcsc@gmail.com
CIN : U63023RJ2010SGC033489

Instructions to Bidders for online submission of e-Bid

1. The bidder who are interested in bidding can download Bid Documents from http://eproc.rajasthan.gov.in
2. Bidders, who wish to participate in this Bid, will have to be registered on http://eproc.rajasthan.gov.in. To participate in online Bid, Bidders will have to procure Digital Signature Certificate (type II or III) as per Information Technology Act-2000 using which they can sign their electronic Bids. Bidders can procure the same from any CCA approved certifying agency i.e. TCS, safe-crypt, (n) code etc or Government of Rajasthan, e-procurement Cell, Department of IT&C, Government of Rajasthan for further assistance. Bidders who already have a valid Digital Certificate need not to procure a new Digital Certificate. Contact No. 0141-4022688 (Help Desk 10.00 AM to 6.00 PM on all working days) email: eproc@rajasthan.gov.in, Address: e-procurement cell, RISL, Yojana Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur.
3. Bidder will submit their offer on-line in electronic formats both for technical and financial proposals; however DD/Banker Cheque for Bid fees, processing fees and Bid securing Declaration should be submitted manually in the office of Bidding authority (Rajasthan State food & Civil Supplies Corporation Ltd.) before scheduled date & time as mentioned in e-Bid Notice. Scanned copy of DD/BC and Bid securing Declaration should be uploaded along with the online Bid.
4. Before electronically submitting the Bid, it should be ensured that all the Bid papers including conditions of contract are digitally signed by the bidder.
5. Training for the bidders on the usage of e-Bidding system is also being arranged by RISL on regular basis. Bidders interested for training may contact e-Procurement Cell, RISL for booking the training slot.
6. Bidders are also advised to refer "Bidders manual" available under "Download" section for further details about the e-Bidding process.
7. Bidders will have to enter the documents in the "cover" as per the following order:-

(A) Technical Cover-

(a)In the Fee Cover (in PDF/JPG format)

a. **Scanned copy of DD/ Banker's Cheque for Bid fee in favour of "Rajasthan State Food & Civil Supplies Corporation Ltd.", payable at Jaipur.**
b. **Scanned copy of Bid** securing **Declaration in Lieu of Bid security in favour of "Rajasthan State Food & Civil Supplies Corporation Ltd.", Jaipur.**
c. **Scanned copy of DD/Banker Cheque for processing fees in favour of MD, RISL payable at Jaipur.**

Scanned with CamScanner

(b) In the Technical document cover (in PDF/JPG format)-

Scanned copy (signed & sealed) as per check list along with supporting papers (except BoQ Sheet) for evaluation of Technical Bids.

(B) Financial Cover (.xls format)-

The Bill of Quantity (BoQ) must be uploaded after entering the name of the firm and rate of the item description as mentioned in प्रपत्र–"द"

8. Bidders are requested not to edit or change any item or quantity.
9. Rates are to be filled only on BoQ (in.xls format) sheet only.
10. The financial Bids of only those bidders would be opened and considered who meet the criteria of eligibility.
11. All bidders are advised not to wait till last date and are advised to submit their Bid at the earliest. The Corporation will not be responsible for any inconvenience in website, No extension in deposition of Bid will be allowed.
12. **Important Instruction:-**The Law relating to procurement "The Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012"[hereinafter called the Act] and the "Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013"[hereinafter called the Rules] under the said Act have come into force which are available on the website of State Public Procurement Portal http://sppp.rajasthan.gov.in. Therefore, the bidders are advised to acquaint themselves with the provisions of the Act and the Rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provisions of the Act and the Rules and this bidding document, the provisions of the Act and the Rules will prevail.
13. Bidder should read terms & conditions carefully and comply to it strictily while submitting their bids. if a bidder has any doubt regarding the terms & conditions and specifications mentioned in the bid notice, he should refer these to the M.D., Rajasthan state food & civil supplies corporation limited, jaipur before submitting bids and obtain clarifications. The decision of the M.D., Rajasthan state food & civil supplies corporation limited, jaipur will be final and binding on the bidder.

Scanned with CamScanner

RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LIMITED.
(A State Government undertaking)
Head Office: 5th floor, KisanBhawan,LalKothi, Tonk Road, Jaipur-302015
Phone: 0141- 2744692, 0141-2744649, General
Fax No. 0141-2741924, ,E-Mail: rsfcsc@gmail.com
CIN : U63023RJ2010SGC033489

Check List –(Documents to be uploaded in Technical Cover)

S.N.	Particulars	Yes/ No	Evidence (if yes, than page no.
1	Scanned copies of DD/BC for Bid fee, Processing fee and Bid securing Declaration in Lieu of Bid security . (The above scanned copy must be uploaded in the fee cover (a) in Technical Cover (A).		
2	E-Bid Form including General Terms & Conditions.		
3	परिशिष्ठ– अ (वार्षिक टर्न ऑवर प्रमाण पत्र) सीए द्वारा		
4	परिशिष्ठ– ब (ई–बिडदाता द्वारा घोषणा) 100/– नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर		
5	परिशिष्ठ– स (अनुबंध का प्रारूप)		
6	जीएसटी (GST) रजिस्ट्रेशन की प्रति		
7	आयकर (पैन नम्बर) की प्रति		
8	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम,1970 के तहत रजिस्ट्रेशन की प्रति		
9	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम,1952 के तहत रजिस्ट्रेशन की प्रति		
10	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948 के तहत रजिस्ट्रेशन की प्रति		
11	राजस्थान दुकान एंव वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन की प्रति		
12	औसत वार्षिक टर्न ऑवर के साक्ष्य यथा ऑडिटेड बैलेंसशीट एवं लाभ हानि खाते / प्राप्ति एवं भुगतान खाता एवं आय व्यय खाते की प्रति (वर्ष 2017–18 से 2019–20)		
13	संबंधित सरकारी विभाग /उपक्रम द्वारा जारी (सरकारी विभाग /उपक्रम में गत 03 वर्षो में कार्य करने के संतोष जनक सेवा का प्रमाण पत्र/ अनुभव प्रमाण पत्र)		

Name of firm with Signature

Scanned with CamScanner

RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LIMITED.
(A State Government undertaking)
Head Office: 5th floor, KisanBhawan,LalKothi, Tonk Road, Jaipur-302015
Phone: 0141- 2744692, 0141-2744649, General
Fax No. 0141-2741924, ,E-Mail: rsfcsc@gmail.com
CIN : U63023RJ2010SGC033489

तकनीकी बिड फॉर्म

सुरक्षा गार्ड /चौकीदार/ सुपरवाईजर/वाहन चालक आदि की आपूर्ति हेतु ई–बिड सूचना

1. ई– बिड प्रस्तुत करने वाली फर्म/संवेदक/बोलीदाता का नाम ....
2. स्थायी डाक का पता,फोन नम्बर , ई–मेल ,फैक्स नम्बर आदि
   - A. स्थाई डाक पता...
   - B. लेण्डलाईन टेलीफोन नं.,..
   - C. मोबाईल नम्बर ....
   - D. ई–मेल ....
   - E. फैक्स नम्बर ....
3. पंजीकृत कार्यालय का विवरण
   - A पंजिकृत कार्यालय का पता...
   - B लेण्डलाईन टेलीफोन नं.,..
   - C मोबाईल नम्बर ....
   - D सम्पर्क सूत्र व्यक्ति का नाम ....
   - E फैक्स नम्बर ....
4. किसको संबोधित किया गया – राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. जयपुर ई– बिड सूचना संदर्भ क्रमांकः एफ 3 (1)/राराखानाआनि./संस्था/ 2011/ दिनांक
5. ई– बिड शुल्क एवं बिड प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र.सं.	विवरण	राशि	डीडी./ बैकर्स चैक नम्बर	दिनांक	बैंक का नाम
1	बिड शुल्क	1000/–			
2	बिड प्रोसेसिंग फीस	500/–			

6. बोली दाता / संवेदक के बैंक का विवरण :–

बैंक का नाम	
ब्रांच	
खाता नम्बर	
खाते का प्रकार	
IFSC कोड नम्बर	

Scanned with CamScanner

7. हम राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. जयुपर द्वारा जारी की गई ई–बिड सूचना संख्या .... दिनांक .... में वर्णित शर्तो से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त ई–बिड सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है।

8. सुरक्षा गार्ड /चौकीदार/ सुपरवाईजर /वाहन चालक आदि की सेवाये उपलब्ध करवाने हेतु राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 मुख्यालय जयपुर पर, आवश्यकतानुसार आपूर्ति मांग के 24 घंटे में कर दी जाएगी। राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. जयपुर द्वारा आवश्यकतानुसार सेवा ईकाई में कमी या वृद्धि की जा सकती है।

9. सुरक्षा गार्ड /चौकीदार/ सुपरवाईजर /वाहन चालक आदि की सेवाये उपलब्ध करवाने हेतु बिड प्रपत्र में ऑन लाईन दी गई दरें एक वर्ष के लिए है जिसे नियमानुसार 03 माह के लिए बढाया जा सकता है।

10. जीएसटी रजिस्ट्रेशन नम्बर– ....

11. औसत वार्षिक टर्न ओवर –.......................................

12. निम्नालिखित पंजीकरण प्रमाण पत्रो की प्रति संलग्न कर विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

क्र. सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम,1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम,1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948				
4	वस्तु एवं जीएसटी (GST)				
5	आयकर (पैन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एंव वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन				

13. कार्य के अनुभव का विवरण :–

क्र.सं.	संबंधित सरकारी विभाग/ उपक्रम का नाम	कार्य किये जाने की अवधि	संबंधित विभाग द्वारा जारी साक्ष्य का विवरण	संलग्न कर दिया है तो पृष्ठ संख्या

Scanned with CamScanner

14. निम्न प्रपत्रो की प्रतियां संलग्न हैः–

a) जीएसटी (GST) रजिस्ट्रेशन की प्रति

b) आयकर (PAN) नम्बर की प्रति

c) राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम,1970 के तहत रजिस्ट्रेशन की प्रति

d) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम,1952 के तहत रजिस्ट्रेशन की प्रति

e) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948 के तहत रजिस्ट्रेशन की प्रति

f) राजस्थान दुकान एंव वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन की प्रति

g) औसत वार्षिक टर्न ऑवर के साक्ष्य यथा ऑडिटेड बैलेंसशीट एवं लाभ हानि खाते / प्राप्ति एवं भुगतान खाता एवं आय व्यय खाते की प्रति (वर्ष 2017–18 से 2019–20)

h) संबंधित सरकारी विभाग /उपक्रम द्वारा जारी (सरकारी विभाग /उपक्रम में गत 03 वर्षो में कार्य करने का संतोष जनक सेवा का प्रमाण पत्र/अनुभव प्रमाण पत्र)

मैने/हमने राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. जयपुर द्वारा जारी की गयी बिड सूचना संख्या .... दिनांक .... में वर्णित एंव बिड प्रपत्र के साथ संलग्न समस्त शर्तो को स्वीकार करने के साक्ष्य के रूप में मैने/हमने हस्ताक्षर किये है जिन्हे मैं/हम मानने के लिए बाध्य हूँ/है।

यदि मेरे/हमारे द्वारा दिये गये उक्त तथ्य गलत पाये गये तो निगम प्रशासन को बिना किसी पत्र/ नोटिस के मेरी/हमारी कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त करने एवं उक्त बिड को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. जयपुर को प्रदत्त करता हूँ/करते है।

बोलीदाता/संवेदक के हस्ताक्षर
(मय सील)

Scanned with CamScanner

RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LIMITED.
(A State Government undertaking)
Head Office: 5th floor, KisanBhawan,LalKothi, Tonk Road, Jaipur-302015
Phone: 0141- 2744692, 0141-2744649, General
Fax No. 0141-2741924, ,E-Mail: rsfcsc@gmail.com
CIN : U63023RJ2010SGC033489

बिड शर्ते

I परिचय:–

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. जयपुर में सुरक्षा गार्ड /चौकीदार/ सुपरवाईजर /वाहन चालक आदि की सेवाओ की आवश्यकता है। निगम मुख्यालय में वर्षभर में विभिन्न कार्यो के सम्पादन करवाने हेतु निम्नानुसार सुरक्षा गार्ड /चौकीदार/ सुपरवाईजर /वाहन चालक आदि की आवश्यकता पडेगी:

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की प्रकृति	मानव संसाधनो की अनुमानित संख्या
1	सुरक्षा गार्ड/ चौकीदार आदि	कुशल	03
2	सुपरवाईजर आदि	कुशल	01
3	हल्के एवं भारी वाहनो /मोटर गाड़ियो के वाहन चालक (ड्राईवर) आदि	कुशल	02

उपर्युक्त श्रमिको की आपूर्ति हेतु ई–बिड आमंत्रित की जाती है। ऐसे बिडदाता /संवेदक/सेवा प्रदाता संस्था/फर्म/कम्पनी/सोसायटी जिन्हें इस तरह के श्रमिक उपलब्ध करवाने का अनुभव हो, बिड भर सकते है। ई–बिड प्रपत्र वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है एवं वेबसाईट राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 जयपुर, एवं sppp.rajasthan.gov.in पर भी देखा जा सकता हैं। ई–बिड आनलाईन इलेक्ट्रोनिक्स फोरमेट में वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर ही प्रस्तुत की जाएगी। ई–बिड प्रपत्र शुल्क राशि 1000/– ,RISL प्रोसेसिंग फीस राशि रू.500/– के अलग–अलग डी.डी./बैंकर्स चैक एवं वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 23.12.2020 के नियमानुसार घोषणा पत्र) निर्धारित दिनांक एवं निर्धारित समय तक राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. मुख्यालय जयपुर के कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक है।

II आवेदन के लिए वांछित पात्रता

1. बिडदाता/संवेदक/ सेवा प्रदाता फर्म/कम्पनी/सोसाइटी का विगत तीन वर्षो का औसत वार्षिक टर्न ऑवर रू. 6,00,000/– (छः लाख रूपये) हो। इस हेतु वांछित प्रमाणित दस्तावेज Balance Sheet Profit and Loss A/c, Receipt & Payment/Income-expenditure A/c आदि अनिवार्य रूप से संलग्न करे।
2. सेवा प्रदाता फर्म का राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत पंजीकरण होना वांछित है। पंजीकरण संख्या व उसका प्रमाण पत्र संलग्न करना जरूरी है फर्म/कम्पनी द्वारा कम से कम एक सरकारी विभाग/उपक्रम

Scanned with CamScanner

में इस तरह का कार्यानुभव विगत कम से कम 3 वर्षो का होना अनिवार्य है। संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र/ अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित संस्थान प्रमुख द्वारा जारी किया हुआ संलग्न करना अनिवार्य है।

3. आवेदक को पंजीकृत कार्यालय/शाखा का पूर्ण पता, दूरभाष नम्बर, फैक्स नम्बर सहित देना अनिवार्य है।
4. सेवा प्रदाता का राजस्थान में पंजीकृत कार्यालय होना अनिवार्य हैं।
5. सेवा प्रदाता को जीएसटी हेतु पंजीकृत होना अनिवार्य है। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न करें। पैन की प्रति भी संलग्न करना जरूरी है।
6. सेवा प्रदाता को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 योजनान्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है। (रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना जरूरी है।)
7. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीकरण संख्या व उसका प्रमाण पत्र संलग्न करना जरूरी हैं।
8. आवेदन की विधि तथा बोली प्रतिभूति (Bid Security) जमा कराना:–

ई–बिड प्रपत्र शुल्क की राशि रू. 1000/– प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूति निगम लि जयपुर के पक्ष में देय एवं बोली प्रतिभूति राशि के स्थान पर बिड सिक्युरिटी डिक्लयेरेशन वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 23.12.2020 के नियमानुसार) एवं प्रोसेसिंग फीस राशि रू. 500/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक M.D., RISL, Jaipur के पक्ष में देय भौतिक रूप (Physically) से प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूति निगम लि जयपुर के कार्यालय में ई बिड सूचना में अंकित निर्धारित तिथि एवं समय तक प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

III कार्यों का विवरण एवं बिड की शर्तें:

1. सिक्योरिटी गार्डस या चौकीदार से निगम कार्यालय के मुख्य दरवाजें एवं आवश्यक होने पर अन्य भवनों में चौकीदारी या सिक्योरिटी गार्डस के रूप में कार्य करवाया जायेगा।
2. सिक्योरिटी गार्डस या चौकीदार के रूप में कार्य करने वाले श्रमिक की उम्र 25 से 55 वर्ष के बीच शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं मजबूत होनी चाहिए।
3. कार्यालय में श्रमिक के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को निर्धारित वर्दी में होना आवश्यक है।
4. संबंधित श्रमिक के वर्दी में ना पाये जाने पर 100 रूपये प्रति दिन की दर से भुगतान काटा जायेगा, एवं 3 बार चेतावनी के उपरान्त भी वर्दी में नहीं पाये जाने पर उसे कार्य मुक्त कर दिया जायेगा।
5. निगम में श्रमिक के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को पढना व लिखना आना जरूरी है।
6. सुरक्षा गार्ड /चौकीदार/ सुपरवाईजर/वाहन चालक आदि के रूप में कार्य करने वाले श्रमिक शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। शारीरिक रूप से विकलांग श्रमिक को कार्य पर नहीं रखा जायेगा।

Scanned with CamScanner

7. रात्रि में परिसर के अन्दर चौकीदारी करने वाला सिक्योरिटी गार्डस पूरे परिसर में घूम–घूम कर पूर्ण सर्तकता से पूरे परिसर में सभी जगहों की चौकीदारी करेगा।
8. कार्य करने वाले श्रमिक का पारिश्रमिक ठेकेदार के द्वारा दिया जायेगा व श्रमिक को सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम दर पर भुगतान नहीं किया जायेगा।
9. कार्य करने वाले श्रमिक को ठेकेदार द्वारा हर माह की 7 तारीख तक भुगतान किया जायेगा चाहे संस्था द्वारा प्रशासनिक कारणों से ठेकेदार को भुगतान देरी से ही क्यो ना हो।
10. कार्य करने वाले श्रमिक को कार्य पर निर्धारित समय से 10 मिनिट पहले ही पहुँचना होगा।
11. श्रमिक कार्य के दोरान सोते हुए पाये जाने या कार्यस्थल पर अनुपस्थित पाये जाने पर भुगतान काटा जायेगा।
12. श्रमिक यदि कार्यस्थल पर अनुपस्थित पाया जाता है तो ठेकेदार से पैनल्टी के रूप में 500 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से काटा जायेगा।
13. ठेकेदार द्वारा मासिक डयूटी चार्ट मय मोबाइल नम्बर कार्यालय में देना होगा।
14. कार्य करने वाले श्रमिक द्वारा अवकाश पर जाने की सूचना दो दिन पूर्व अपने अधिकारी/अधिष्ठाता को देनी होगी व साथ ही अवकाश की सूचना ठेकेदार को भी देनी होगी।
15. संबन्धित श्रमिक के अवकाश पर जाने पर ठेकेदार द्वारा लगाये गये नये श्रमिक के रूप में कार्य करने वाले श्रमिक का पूर्ण पता, फोटो पहचान पत्र व मोबाइल नम्बर आदि का विवरण अपने संबंधित अधिकारी एवं कार्यालय में देना होगा।
16. कार्य करने वाले श्रमिक के द्वारा परिसर में मद्यपान या धूम्रपान आदि का सेवन वर्जित हैं। मद्यपान या धूम्रपान आदि करते पाये जाने पर निगम द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
17. श्रमिक के रूप में कार्य करने वाले श्रमिक का पूर्ण पता, आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र व मोबाइल नम्बर आदि का विवरण अपने सम्बन्धित अधिकारी एवं कार्यालय में देना होगा।
18. श्रमिक के रूप में कार्य करने वाले श्रमिक संस्था में ही किसी प्रकार की हानि पहुँचाते है तो उसका उतरदायित्व स्वयं ठेकेदार का होगा व नुकसान की वसूली संबंधित फर्म से की जायेगी।
19. बिड को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. जयपुर को होगा।
20. अगर ठेकेदार अपना कार्य निश्चित अवधि के बीच में छोडता है व श्रमिको को भुगतान नहीं करता है या कार्य संतोषजनक नहीं करने पर उसको इस कार्यालय द्वारा नियमानुसार इस ठेके से हटाया जा सकता है तो उसके द्वारा जमा कार्य सम्पादन राशि जब्त कर ली जायेगी।
21. ठेकेदार द्वारा संस्थान मे श्रमिको को राजस्थान सरकार के द्वारा वर्तमान में निर्धारित दर से कम पर भुगतान नहीं होगा। यदि राज्य सरकार द्वारा न्युनतम दरें बढाई जाती है तो ठेकेदार श्रमिको को राजस्थान सरकार के द्वारा परिवर्तित निर्धारित दर के अनुसार अधिक दर का भुगतान करेगा व इसी परिवर्तित निर्धारित दर के अनुसार प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. के कार्यालय से ठेकेदार को भुगतान करना होगा।

Scanned with CamScanner

22. सेवा उपभोग करने वाले संस्थान द्वारा ठेकेदार के श्रमिको के बिलों के भुगतान में अगर किसी कारणवश देरी होती है तो भी श्रमिको को समय पर भुगतान की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की अपनी होगी। ठेकेदार द्वारा श्रमिको को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक भुगतान करना आवश्यक होगा अन्यथा देरी से भुगतान करने पर 500/– रू प्रतिदिन के हिसाब से उपयोगकर्त्ता संस्थान में शास्ति (पैनेल्टी) की राशि जमा करवानी होगी। ठेके के अधीन कार्यरत श्रमिको का भुगतान बैंक में ट्रांसफर करना होगा। इस बिन्दु को विशेष रूप से ध्यान में रख कर बिड भरें।

23. चालू माह के श्रमिक बिलों के साथ गत माह के बिलों के भुगतान की EPF/ESI चालान की छायाप्रति व श्रमिक भुगतान की Bank Transfer Sheet/NEFT/RTGS की प्रति संलग्न करना भी सुनिश्चित करना होगा।

24. श्रमिको को प्रत्येक माह के भुगतान की लिखित सूचना हस्ताक्षर सहित संस्थान को देनी होगी। उसके पश्चात ही आगामी माह के बिल का भुगतान देय होगा।

25. ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाये गये श्रमिक द्वारा संस्था में किसी भी प्रकार की हानि पहुचायी जाती है तो उसका उत्तरदायित्व स्वयं ठेकेदार का होगा। नुकसान की वसूली का पूर्ण अधिकार सम्बन्धित कार्यालय प्रबन्ध निदेशक राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि को होगा।

26. श्रमिक उपलब्ध करवाने बाबत् इस कार्यालय द्वारा अग्रिम राशि देय नहीं होगी। कार्य की आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए श्रमिक की उपलब्धता तथा देय ठेके की अवधि RTPP Act 2012, एवं RTPP नियम 2013 में उल्लेखित प्रावधानुसार घटाई या बढाई जा सकेगी।

27. निगम द्वारा फर्म को किसी भी प्रकार का अग्रिम राशि देय नहीं होगी। इकाई प्रभारी श्रमिक से कोई भी कार्य करवा सकता हैं।

28. ठेकेदार द्वारा श्रमिको की उपलब्धता मांग के अनुरूप नहीं करने एवं अन्य विवाद की स्थिति में 7 दिन के नोटिस पर ठेकेदार का अनुबंध निरस्त किया जा सकता है तथा ऐसी स्थिति में उसकी समस्त कार्य संपादन प्रतिभूति राशि जब्त करने व अन्य सफल बिड में से जिसकी दर न्यूनतम एवं उचित होगी, उसे ठेका देने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक राराखानाआनि जयपुर को होगा ।

29. दो या दो से अधिक बिडदाताओ के द्वारा दी गई दरों में अगर समानता होती है तो प्रबन्ध निदेशक राराखानाआनि जयपुर द्वारा किया गया निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा। इस हेतु अधिक वर्षो के संतोष जनक सेवा के प्रमाण पत्र/ अनुभव प्रमाण पत्र वाले बोलीदाता/संवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी।

30. यदि बिडदाता द्वारा समय पर श्रमिक उपलब्ध नहीं कराये गये तो कार्य की आवश्यकता को देखते हुए सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी उस कार्य को अपने स्तर पर ठेकेदार की दर से दो गुणा तक श्रमिक लगा कर पूर्ण करा लेंगें जिसका भुगतान बिडदाता द्वारा जमा कार्य संपादन प्रतिभूति राशि में से किया जायेगा तथा उतनी ही राशि निगम उसकी कार्य संपादन प्रतिभूति राशि में से पैनेल्टी के रूप में काटेगा। समय पर श्रमिको उपलब्ध न कराने व ई–बिड शर्तो को न मानने पर बिडदाता को भविष्य के लिए डिबार कर दिया जायेगा।

31. बिडदाता या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति को कार्यालय समय में निगम में बुलाया जा सकता है।

Scanned with CamScanner

32. बिडदाता को यथासम्भव पूर्व में ही कार्य हेतु दिन व समय बता दिया जायेगा, फिर भी दिन व समय प्रकृति पर निर्भर करेगा जिसके लिए बिडदाता को तुरंत श्रमिको की व्यवस्था करनी होगी। बिडदाता द्वारा समय पर श्रमिक उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में जो भी हानि होगी वो बिडदाता को वहन करनी होगी।

33. बिडदाता यदि कार्यों की महत्वता एवं गुणवत्तानुसार श्रमिक उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है या कार्य अधूरा छोडता है तो निगम उन शेष कार्यों को अपनी जिम्मेदारी से पूर्ण करायेंगे जिसका भुगतान बिडदाता द्वारा जमा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में से किया जायेगा। इस भुगतान की राशि पुनः सात दिन के अन्दर जमा करानी होगी। इस प्रकार की प्रवृति की यदि तीन बार पुनरावृर्ति होती है तो प्रबन्ध निदेशक राराखानाआनि को अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा एवं बिडदाता की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि भी जब्त करली जायेगी।

34. निगम द्वारा निर्धारित दर (जो बिड फॉर्म में दर्शाई गई है) से कम प्रस्तुत की गई दरों को स्वीकार नहीं किया जावेगा। वित्तीय **बिड** में फर्म द्वारा सेवा शुल्क (Service Charges) शून्य राशि भरे जाने पर स्वीकार्य नही होगी एवं वित्तीय बिड निरस्त मानी जायेगी । सर्विस चार्ज की राशि प्रति व्यक्ति प्रतिमाह प्रस्तुत की जायेगी।

35. न्यूनतम मजदूरी दर राजस्थान सरकार (श्रमविभाग) जारी अधिसूचना क्रमांक एफ. 8 (5) (6) न्यू.म. अभि/ आईआर/ श्रम/2000/पार्ट/15340 जयपुर दिनांक 30.07.2021 के अनुसार तथा समय समय पर संशोधन के अनुसार लागू होगी।

36. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 मार्च, 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक/बोलीदाता का होगा।

37. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1852 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के नियमो की पालना करनी होगी ।

38. संवेदक (बिडदाता) द्वारा नियोजित श्रमिको को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिको के बैंक खातें में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित कार्यालय (निगम मुख्यालय) को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिको के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण बाबत संबधित कार्यालय (निगम मुख्यालय) की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

39. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिको को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

40. श्रमिको को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा तथा ईपीएफ एवं ईएसआई की दरो में भी यदि कोई परिवर्तन होगा, तो परिवर्तित दर ही देय होगी। नियमानुसार ईपीएफ पर यदि कोई चार्जेज भी दिये जाते तो वे भी भुगतान होगे परन्तु उसके साक्ष्य/नियम प्रस्तुत करने होगें।

Scanned with CamScanner

41. संवेदक/बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिको का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिको की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक/बोलीदाता का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिको के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की छाया प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा। निगम मुख्यालय में **सुरक्षा गार्ड /चौकीदार/ सुपरवाईजर /वाहन चालक आदि** आदि जो भी लगाये जायेगें, बिल उसी कार्यालय में प्रस्तुत करने होगें तथा उसी कार्यालय द्वारा भुगतान नियमानुसार टी.डी.एस. आदि जो लागू हो, काटकर किया जायेगा।

42. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रकृति, श्रमिको हेतु Helpline नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधानों का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

43. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिको का नियमानुसार ई. पी.एफ. एवं ई.एस.आई.की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

44. संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिको को देय राशि पर जीएसटी (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये जीएसटी (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। जीएसटी (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में जीएसटी (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में जीएसटी (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

45. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशोंकी पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

46. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिको के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये संवेदक, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

47. नियोजित श्रमिको को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम,1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिको को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन,छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

48. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

Scanned with CamScanner

49. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत संस्था को प्राप्त होती है, तो संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी। और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।

50. संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात् कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग के संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जावेंगी।

IV बिड का खोला जाना

निर्धारित दिनांक को सांय काल 6.00 बजे तक अपलोड बिड प्रपत्रों को निर्धारित दिनांक को अपरान्ह 3.00 बजे उपस्थित बिडदाताओं के समक्ष खोला जाएगा।

V . कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि

सफल बिडदाता को अनुमानित लागत के 2.5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि (performance security) जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक प्रबन्ध निदेशक राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड जयपुर के नाम जयपुर में भुगतान योग्य हो, के माध्यम से जमा करानी होगी। यह कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि बिडदाता द्वारा कार्यादेश में वांछित अवधि समाप्त होने पर तथा समस्त कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण होने पर ही लौटाई जा सकेगी अन्यथा स्थिति में यह पूर्ण रूप से/अंशतः सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा RTPP नियम 2013 के नियमो के तहत जब्त की जा सकेगी।

VI . उत्तरदायित्व

सेवा सम्पादन के दौरान मैन पॉवर की किसी प्रकार की दुर्घटना या भारत/राजस्थान में प्रचलित किसी कानून/नियम/अधिनियम/उपनियम के उल्लंघन की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी बिडदाता की होगी। सेवा हेतु रखे गए श्रमिक सेवा ईकाई की समस्त प्रकार की जिम्मेदारी बिडदाता की होगी। सफल बिडदाता को जिम्मेदार अधिकारी/व्यक्ति का नाम, पता व मोबाइल नम्बर उपलब्ध करवाना होगा ताकि कार्य सुचारू रूप से हो सके।

VII ई–बिड को स्वीकार/अस्वीकार करने की शक्तियां

बिड को बिना कारण बताए पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अस्वीकार करने के सम्पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड जयपुर को होंगे। यह अनिवार्य नहीं है कि असफल बिडदाता के साथ पत्र व्यवहार करें या उनके पत्र व्यवहार का जवाब दिया जाए। ई–बिड प्रस्तुत कर देने के पश्चात् वापस लेने का अधिकार किसी बिडदाता को नही होगा। बिड् सिक्यूरिटी के स्थान पर बिड सिक्युरिटी घोषणा RSIL फीस एवं बिड शुल्क के अभाव में ई–बिड फार्म रद्द कर दिए जाएगें। ई–बिड में प्राप्त दरें बातचीत (negotiation)/ बिना बातचीत स्वीकार करने के पूर्ण अधिकार क्रय समिति एवं उपापन अधिकारी को होगें जो बिडदाता के लिए बाध्यकारी होगें।

Scanned with CamScanner

VIII . श्रमिको की संख्या

बिड में वर्णित श्रमिको की संख्या अनुमानित है, जिसमें मौके पर परिवर्तन संभावित है।

IX. दर संविदा अनुबंध की अवधि

दर संविदा की अवधि एक वर्ष के लिए होगी तथा जो RTPP नियम 2013 के नियम के अनुसार 03 माह बढाई जा सकती है।

X . अनुबन्ध–पत्र

सफल बिडदाता को निर्धारित प्रारूप के अनुसार नियमानुसार निर्धारित राशि रू. 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर एक अनुवंध पत्र सम्पादित करना होगा जिसका व्यय बिडदाता को वहन करना होगा। दोनों पक्षो को उक्त अनुवंध पत्र की प्रत्येक शर्त का अक्षरशः पालन करना होगा। यदि विडदाता उक्त शर्तों का उल्लंघन करता है तो अनुबंध पत्र किसी भी समय विना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जाएगा, तथा उक्त कार्य अनुवंधकर्त्ता की risk and cost पर अन्य व्यक्ति से करा लिया जाएगा। यदि करार के पश्चात् चाही गई मैनपावर में किसी प्रकार की बढ़ोतरी/कमी होती है तो आनुपातिक आधार पर पैकर्स सेवाएं बढ़ाई/घटाई जा सकती है।

XI भुगतान की शर्ते

बिल का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। सफल विडदाता सेवा प्रदाता को प्रतिमाह संबंधित इकाई प्रभारी अधिकारी से सेवा संतोषजनक होने का प्रमाणीकरण करवाकर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बिल संवंधित कार्यालय में प्रस्तुत करने होगें जिसके आधार पर संवंधित कार्यालय द्वारा भुगतान किया जा सकेगा। उक्त सेवाओं के बदले निगम के संवंधित कार्यालय द्वारा सेवाओं के संतोषजनक पाये जाने पर मासिक आधार पर भुगतान समेकित रूप से विडदाता सेवा प्रदाता को rtgs/neft/ चैक द्वारा किया जाएगा।

XII . भुगतान की जिम्मेदारी

बिडदाता (सेवा प्रदाता) को मासिक आधार पर सेवाओं के संतोषजनक होने पर भुगतान किया जाएगा एवं अन्य किसी भी तरह की जिम्मेदारी से निगम मुक्त होगा। अर्थात् वर्णित सेवाओं के किए जाने वाले भुगतान तथा अन्य किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से निगम मुक्त होगा।

XIII मध्यस्थ

बिड की किसी भी शर्त/शर्तो के संबंध में प्रबन्ध निदेशक राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड जयपुर का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

Scanned with CamScanner

XIV. कार्यादेश का निरस्तीकरण

किसी भी कार्यादेश को निरस्तीकरण पेटे बिना कोई भुगतान किए पूर्णतः/आंशिक रूप से निरस्तीकरण के सम्पूर्ण अधिकार निगम को होगें लेकिन यह मात्र असामान्य/विशेष परिस्थितियों में ही हो सकेगा।

XV बिड शर्तों की स्वीकारोक्ति

बिडदाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह बिड भरते समय बिड प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने लघु हस्ताक्षर करेगा जिससे यह माना जाएगा कि उसने प्रत्येक शर्त पढ़/समझ ली है तथा उसे/उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार्य है। अहस्ताक्षरित बिड निरस्त की जा सकती है। भारत/राजस्थान सरकार द्वारा लागू किए गए किसी भी कर/लेवी की वसूली सफल बिडदाता के बिल से निगम के संबंधित कार्यालय जिसके द्वारा भुगतान किया जायेगा, कटौती करके की जायेगी।

XVI किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्टेड फर्म ई–बिड प्रस्तुत करने के लिए अपात्र मानी जाएगी। यदि ऐसी फर्म इस तथ्य को छिपाते हुए अपनी ई–बिड प्रस्तुत करती है तो उस फर्म की कार्य संम्पादन प्रतिभूति (performance security) जब्त करते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जाएगा।

XVII वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार– बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात्:–

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है, के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा।

(ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होगें और योग में सुधार किया जायेगा।

(ग) यदि शब्दों और अंको के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

XVIII सत्यनिष्ठा संहिता– उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति–

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।

Scanned with CamScanner

(ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा।

(ड) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

XIX . हित का विरोध–

(1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।

(2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेगें, निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं है:–

(क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृतिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय अस्तिया, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृतिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।

(ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप ओर सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।

Scanned with CamScanner

(ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।

(घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जहां उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्यवाईयों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।

(3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित है किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि:–

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते है या प्राप्त की है।

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।

(ड) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।

या

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजायन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

XX उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण – प्रथम अपील प्राधिकारी प्रबंध निदेशक राज. राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम, जयपुर एवं द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी अध्यक्ष राराखानाआनि लि. जयपुर होगें।

Scanned with CamScanner

XXI अपीलः—

(1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्यधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व—अहर्ता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर RTPP नियमो के तहत निर्धारित प्रारूप में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसने उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहां उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्याकंन करती है वहां वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) **उप—धारा (1) के अधीन** अपील की प्राप्ति पर उक्त उप—धारा के अधीन पदाविहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व—अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनो का पालन किया है या नहीं, और तद्नुसार आदेश पारित करेगा जो उप—धारा(5) के अधीन पारित आदेश के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) **अधिकारी, जिसके समक्ष उप—धारा (1) के अधीन** अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) **यदि उप—धारा (1) के अधीन** पदाभिहित अधिकारी उप—धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप—धारा दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप—धारा(2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप—धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप—धारा(2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदाभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

Scanned with CamScanner

(5) **उप–धारा (4) के अधीन अपील** की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुन जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाये गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धातों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(6) **अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील** उप–धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा–सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर–भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उपधारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) **अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) और (4) के अधीन अपील** दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजो में उपदर्शित किया जाएगा।

(8) **उप–धारा (1) और (4) के अधीन प्रत्येक अपील** ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएं।

(9) **इस धारा के अधीन अपील** की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित की जाएं।

(10) **कोई भी ऐसी सूचना,** जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी यथा बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

(11) **अपील का प्रारूपः–**

(1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील निर्धारित प्रारूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

(12) **अपील फाइल करने के लिए फीस –**

(1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रूपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रूपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

Scanned with CamScanner

(13) **अपील के निपटारे की प्रक्रिया –**

(1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी –

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा। और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजो, सुसंगत अभिलेख या उसकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारो की सुनवाई, मामले से संबधित दस्तावेजो, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारो के उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम(3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

XXII. यदि वाद उत्पन्न होने की स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान) होगा।

XXIII. वित्तीय बिड ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर निर्धारत B.O.Q. में प्रस्तुत की जायेगी । वित्तीय बिड में कार्य की प्रकृति, कुशल श्रमिको की वर्तमान श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी प्रतिमाह अंकित कर दी गयी है। तथा संबंधित मानव संसाधनो की अनुमानित संख्या भी अंकित कर दी गई है। ईपीएफ एवं ईएसआई की वर्तमान दर क्रमशः 12 प्रतिशत एवं 3.25 प्रतिशत के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिमाह की राशि की गणना कर अंकित कर दी गई है। इनमे कोई परिवर्तन होगा तो तदनुसार देय होगा। बिडदाता/बोलीदाता को उक्त वित्तीय बिड के कॉलम 5,8,9 एवं 10 की ही पूर्ति करनी है। संवेदक/बोलीदाता यदि जीएसटी चुकाता है तो देय राशि पर जीएसटी की राशि नियमानुसार अतिरिक्त देय होगी।

XXIV . **ई–बिड की अन्य शर्ते सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग–II** एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अनुसार लागू होंगी।

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तो का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लिया हैं एवं समझ लिया है तथा मैं/ हम उपर्युक्त सभी शर्तो से प्रतिबन्धित रहूंगा/रहेगें। उपरोक्त शर्तो का अध्ययन कर स्वीकार करने के रूप में हस्ताक्षर एवं मोहर अंकित कर दी है।

दिनांक **ई–बिडदाता के पूर्ण हस्ताक्षर**

स्थान **मय मोहर**

Scanned with CamScanner

RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LIMITED.
(A State Government undertaking)
Head Office: 5th floor, KisanBhawan,LalKothi, Tonk Road, Jaipur-302015
Phone: 0141- 2744692, 0141-2744649, General
Fax No. 0141-2741924, ,E-Mail: rsfcsc@gmail.com
CIN : U63023RJ2010SGC033489

प्रपत्र–'अ'

वार्षिक टर्न ओवर प्रमाण पत्र (सीए द्वारा दिया जाना है)

प्रमाणित किया जाता है कि फर्म मैसर्स..का विगत तीन वित्तीय वर्षो का टर्न ओवर निम्नानुसार है, जो सत्य व सही है।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर (राशि रू लाखों मे)
1	2017–18	
2	2018–19	
3	2019–20	
	कुल टर्न ओवर	
	औसत वार्षिक टर्न ओवर	

सीए के हस्ताक्षर एवं सील

Scanned with CamScanner

RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LIMITED.
(A State Government undertaking)
Head Office: 5th floor, KisanBhawan,LalKothi, Tonk Road, Jaipur-302015
Phone: 0141- 2744692, 0141-2744649, General
Fax No. 0141-2741924, ,E-Mail: rsfcsc@gmail.com
CIN : U63023RJ2010SGC033489

प्रपत्र–'ब'

Declaration by the Bidder regarding Qualifications
(On Rupees 100 Non-Judicial Stamp Paper)
Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to......................... for procurement of ....in response to their Notice Inviting Bids No..................Dated.....................I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity.
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the union and the State Government of any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/ our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons.
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings.
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition.

Date :
Place :

Signature of bidder:
Name:
Designation:
Address:

Scanned with CamScanner

अनुबंध पत्र का प्रारूप

परिशिष्ट–स

1.यह अनुबंध पत्र आज दिनांक .... को मैसर्स..
......पता..
........जिसे आगे अनुमोदित सेवाप्रदाता फर्म कहा जायेगा, तथा इस अभिव्यक्ति में जहॉं सन्दर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जायेगा, उसके उत्तराधिकारियो/निष्पादको को शामिल किया हुआ समझा जायेगा तथा महाप्रबन्धक (प्रशासन) राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. जयपुर, इस अभिव्यक्ति में जहॉं सन्दर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जायेगा, उसके पद के उत्तराधिकारियो एवं समनुदेशितियो को शामिल किया हुआ समझा जायेगा, के मध्य निष्पादित किया गया।

2.चूंकि अनुमोदित सेवाप्रदाता फर्म , राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. मुख्यालय जयपुर में श्रमिको की आपूर्ति हेतु संविदा एवं बिड दस्तावेजो में दी गई शर्तो में दिये गये तरीके से तथा निम्न दरो पर श्रमिक प्रदाय करने हेतु निगम से सहमत हो गया है:–

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की प्रकृति एव अनुमानित संख्या	वर्तमान में श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (प्रति व्यक्ति प्रतिमाह)	अनुमोदित सेवा प्रदाता की अनुमोदित दर प्रति व्यक्ति प्रतिमाह दर (न्यूनतम से कम ना हो)	EPF की राशि 12% के आधार पर (प्रति व्यक्ति प्रतिमाह)	ESI की राशि 3.25 % के आधार पर (प्रति व्यक्ति प्रतिमाह)	सेवाप्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (प्रति व्यक्ति प्रतिमाह)	कुल राशि (प्रति व्यक्ति प्रतिमाह)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सुरक्षा गार्ड/चौकीदार/आदि	कुशल – 03	7176		861.12	233.22		
2	सुपरवाईजर आदि	कुशल – 01	7176		861.12	233.22		
3	हल्के एवं भारी वाहनो /मोटर गाड़ियो के वाहन चालक (ड्राईवर) आदि	कुशल – 02	7176		861.12	233.22		

Scanned with CamScanner

3. अनुमोदित सेवाप्रदाता फर्म ने निम्न प्रकार से कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि रू ..... जमा करा दी है:–

कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का बैकर्स चैक / डी डी नम्बर.................... दिनांक .... राशि......................

4.अतः विलेख निम्न लिखित का साक्षी है :–

I. उक्त वर्णित दरो पर निगम द्वारा किये जाने वाले भुगतान के प्रतिफल में अनुमोदित सेवाप्रदाता फर्म बिड एवं संविदा की शर्तो में दिये गये तरीके से उक्त सेवाओ का विधिवत प्रदाय करेगी।

II. बिड सूचना संख्या .... दिनांक .... से संलग्न बिड एवं संविदा की शर्तो को तथा इस करार पत्र से जुडी शर्तो को इस करार पत्र के भाग के रूप में लिया हुआ समझा जायेगा तथा ये इस करार पत्र को निष्पादित करने वाले पक्षकारो के लिए मान्य होगी।

III. बिडदाता से प्राप्त पत्र क्रमांक .... दिनांक......... एवं निगम द्वारा जारी किया गया पत्र क्रमांक........... दिनांक............ भी करार पत्र के भाग के रूप में होगे।

IV. निगम एतद द्वारा स्वीकार करता है कि अनुमोदित सेवाप्रदाता फर्म उक्त सेवाओ का उपरोक्त तरीके से विधिवत प्रदाय करेगा, उक्त शर्तो का पालन करेगा तथा उन्हें बनाये रखेगा तो निगम मुख्यालय के माध्यम से अनुमोदित सेवाप्रदाता फर्म को उक्त शर्तो में दिये गये समय पर तथा तरीके से प्रत्येक सेवाओ के लिए देय राशि का भुगतान करेगी।

V. संविदा की मुख्य शर्ते निम्न प्रकार से है:–

1. सिक्योरिटी गार्डस या चौकीदार से निगम कार्यालय के मुख्य दरवाजें एवं आवश्यक होने पर अन्य भवनों में चौकीदारी या सिक्योरिटी गार्डस के रूप में कार्य करवाया जायेगा।
2. सिक्योरिटी गार्डस या चौकीदार के रूप में कार्य करने वाले श्रमिक की उम्र 25 से 55 वर्ष के बीच शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं मजबूत होनी चाहिए।
3. कार्यालय में श्रमिक के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को निर्धारित वर्दी में होना आवश्यक है।
4. संबंधित श्रमिक के वर्दी में ना पाये जाने पर 100 रूपये प्रति दिन की दर से भुगतान काटा जायेगा, एवं 3 बार चेतावनी के उपरान्त भी वर्दी में नहीं पाये जाने पर उसे कार्य मुक्त कर दिया जायेगा।
5. निगम में श्रमिक के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को पढना व लिखना आना जरूरी है।
6. **सुरक्षा गार्ड /चौकीदार/ सुपरवाईजर/वाहन चालक आदि** के रूप में कार्य करने वाले श्रमिक शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। शारीरिक रूप से विकलांग श्रमिक को कार्य पर नहीं रखा जायेगा।
7. रात्रि में परिसर के अन्दर चौकीदारी करने वाला सिक्योरिटी गार्डस पूरे परिसर में घूम–घूम कर पूर्ण सर्तकता से पूरे परिसर में सभी जगहों की चौकीदारी करेगा।

Scanned with CamScanner

8. कार्य करने वाले श्रमिक का पारिश्रमिक ठेकेदार के द्वारा दिया जायेगा व श्रमिक को सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम दर पर भुगतान नहीं किया जायेगा।

9. कार्य करने वाले श्रमिक को ठेकेदार द्वारा हर माह की 7 तारीख तक भुगतान किया जायेगा चाहे संस्था द्वारा प्रशासनिक कारणों से ठेकेदार को भुगतान देरी से ही क्यो ना हो।

10. कार्य करने वाले श्रमिक को कार्य पर निर्धारित समय से 10 मिनिट पहले ही पहुँचना होगा।

11. श्रमिक कार्य के दोरान सोते हुए पाये जाने या कार्यस्थल पर अनुपस्थित पाये जाने पर भुगतान काटा जायेगा।

12. श्रमिक यदि कार्यस्थल पर अनुपस्थित पाया जाता है तो ठेकेदार से पैनल्टी के रूप में 500 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से काटा जायेगा।

13. ठेकेदार द्वारा मासिक डयूटी चार्ट मय मोबाइल नम्बर कार्यालय में देना होगा।

14. कार्य करने वाले श्रमिक द्वारा अवकाश पर जाने की सूचना दो दिन पूर्व अपने अधिकारी/अधिष्ठाता को देनी होगी व साथ ही अवकाश की सूचना ठेकेदार को भी देनी होगी।

15. संबन्धित श्रमिक के अवकाश पर जाने पर ठेकेदार द्वारा लगाये गये नये श्रमिक के रूप में कार्य करने वाले श्रमिक का पूर्ण पता, फोटो पहचान पत्र व मोबाइल नम्बर आदि का विवरण अपने संबंधित अधिकारी एवं कार्यालय में देना होगा।

16. कार्य करने वाले श्रमिक के द्वारा परिसर में मद्यपान या धूम्रपान आदि का सेवन वर्जित हैं। मद्यपान या धूम्रपान आदि करते पाये जाने पर निगम द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

17. श्रमिक के रूप में कार्य करने वाले श्रमिक का पूर्ण पता, आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र व मोबाइल नम्बर आदि का विवरण अपने सम्बन्धित अधिकारी एवं कार्यालय में देना होगा।

18. श्रमिक के रूप में कार्य करने वाले श्रमिक संस्था में ही किसी प्रकार की हानि पहुँचाते है तो उसका उतरदायित्व स्वयं ठेकेदार का होगा व नुकसान की वसूली संबंधित फर्म से की जायेगी।

19. अगर ठेकेदार अपना कार्य निश्चित अवधि के बीच में छोडता है व श्रमिको को भुगतान नहीं करता है या कार्य संतोषजनक नहीं करने पर उसको इस कार्यालय द्वारा नियमानुसार इस ठेके से हटाया जा सकता है तो उसके द्वारा जमा कार्य सम्पादन राशि जब्त कर ली जायेगी।

20. ठेकेदार द्वारा संस्थान मे श्रमिको को राजस्थान सरकार के द्वारा वर्तमान में निर्धारित दर से कम पर भुगतान नहीं होगा। यदि राज्य सरकार द्वारा न्युनतम दरें बढाई जाती है तो ठेकेदार श्रमिको को राजस्थान सरकार के द्वारा परिवर्तित निर्धारित दर के अनुसार अधिक दर का भुगतान करेगा व इसी परिवर्तित निर्धारित दर के अनुसार प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. के कार्यालय से ठेकेदार को भुगतान करना होगा।

21. सेवा उपभोग करने वाले संस्थान द्वारा ठेकेदार के श्रमिको के बिलों के भुगतान में अगर किसी कारणवश देरी होती है तो भी श्रमिको को समय पर भुगतान की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की अपनी होगी। ठेकेदार द्वारा श्रमिको को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक भुगतान करना आवश्यक होगा अन्यथा देरी से भुगतान करने पर 500/- रू प्रतिदिन के हिसाब से उपयोगकर्त्ता संस्थान में शास्ति (पैनेल्टी) की राशि

Scanned with CamScanner

जमा करवानी होगी। ठेके के अधीन कार्यरत श्रमिको का भुगतान बैंक में ट्रांसफर करना होगा।

22. चालू माह के श्रमिक बिलों के साथ गत माह के बिलों के भुगतान की EPF/ESI चालान की छायाप्रति व श्रमिक भुगतान की Bank Transfer Sheet/NEFT/RTGS की प्रति संलग्न करना भी सुनिश्चित करना होगा।

23. श्रमिको को प्रत्येक माह के भुगतान की लिखित सूचना हस्ताक्षर सहित संस्थान को देनी होगी। उसके पश्चात ही आगामी माह के बिल का भुगतान देय होगा।

24. ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाये गये श्रमिक द्वारा संस्था में किसी भी प्रकार की हानि पहुचायी जाती है तो उसका उत्तरदायित्व स्वयं ठेकेदार का होगा। नुकसान की वसूली का पूर्ण अधिकार संम्बन्धित कार्यालय प्रबन्ध निदेशक राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को होगा।

25. श्रमिक उपलब्ध करवाने बाबत् इस कार्यालय द्वारा अग्रिम राशि देय नहीं होगी। कार्य की आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए श्रमिक की उपलब्धता तथा देय ठेके की अवधि RTPP Act 2012, एवं RTPP नियम 2013 में उल्लेखित प्रावधानुसार घटाई या बढाई जा सकेगी।

26- निगम द्वारा फर्म को किसी भी प्रकार का अग्रिम राशि देय नहीं होगी। इकाई प्रभारी श्रमिक से कोई भी कार्य करवा सकता हैं।

27. ठेकेदार द्वारा श्रमिको की उपलब्धता मांग के अनुरूप नहीं करने एवं अन्य विवाद की स्थिति में 7 दिन के नोटिस पर ठेकेदार का अनुबंध निरस्त किया जा सकता है तथा ऐसी स्थिति में उसकी समस्त कार्य संपादन प्रतिभूति राशि जब्त करने व अन्य सफल बिड में से जिसकी दर न्यूनतम एवं उचित होगी, उसे ठेका देने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक राराखानाआनि जयपुर को होगा ।

28. यदि बिडदाता द्वारा समय पर श्रमिक उपलब्ध नहीं कराये गये तो कार्य की आवश्यकता को देखते हुए सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी उस कार्य को अपने स्तर पर ठेकेदार की दर से दो गुणा तक श्रमिक लगा कर पूर्ण करा लेंगें जिसका भुगतान बिडदाता द्वारा जमा कार्य संपादन प्रतिभूति राशि में से किया जायेगा तथा उतनी ही राशि निगम उसकी कार्य संपादन प्रतिभूति राशि में से पैनेल्टी के रूप में काटेगा। समय पर श्रमिको उपलब्ध न कराने व ई–बिड शर्तो को न मानने पर बिडदाता को भविष्य के लिए डिबार कर दिया जायेगा।

29. बिडदाता या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति को कार्यालय समय में निगम में बुलाया जा सकता है।

30. बिडदाता को यथासम्भव पूर्व में ही कार्य हेतु दिन व समय बता दिया जायेगा, फिर भी दिन व समय प्रकृति पर निर्भर करेगा जिसके लिए बिडदाता को तुरंत श्रमिको की व्यवस्था करनी होगी। बिडदाता द्वारा समय पर श्रमिक उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में जो भी हानि होगी वो बिडदाता को वहन करनी होगी।

31. बिडदाता यदि कार्यो की महत्वता एवं गुणवत्तानुसार श्रमिक उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है या कार्य अधूरा छोडता है तो निगम उन शेष कार्यो को अपनी जिम्मेदारी से पूर्ण करायेंगे जिसका भुगतान बिडदाता द्वारा जमा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में से किया जायेगा। इस भुगतान की राशि पुनः सात दिन के अन्दर जमा करानी होगी इस प्रकार की प्रवृति की यदि तीन बार पुनरावृर्ति होती है तो प्रबन्ध निदेशक राराखानाआनि को अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा एवं बिडदाता की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि भी जब्त करली जायेगी।

Scanned with CamScanner

32. न्यूनतम मजदूरी दर राजस्थान सरकार (श्रमविभाग) जारी अधिसूचना क्रमांक एफ. 8 (5) (6)न्यू.म. अभि /आईआर/श्रम /2000/पार्ट/15340 जयपुर दिनांक 30.07.2021 के अनुसार तथा समय समय पर संशोधन के अनुसार लागू होगी।
33. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 मार्च, 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक/बोलीदाता का होगा।
34. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1852 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के नियमो की पालना करनी होगी ।
35. संवेदक (बिडदाता) द्वारा नियोजित श्रमिको को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिको के बैंक खातें में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित कार्यालय (निगम मुख्यालय) को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिको के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण बाबत संबधित कार्यालय (निगम मुख्यालय) की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
36. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिको को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
37. श्रमिको को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा तथा ईपीएफ एवं ईएसआई की दरो में भी यदि कोई परिवर्तन होगा, तो परिवर्तित दर ही देय होगी। नियमानुसार ईपीएफ पर यदि कोई चार्जेज भी दिये जाते तो वे भी भुगतान होगे परन्तु उसके साक्ष्य/नियम प्रस्तुत करने होगें।
38. संवेदक/बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिको का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिको की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक/बोलीदाता का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिको के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की छाया प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा। निगम मुख्यालय में **सुरक्षा गार्ड /चौकीदार/ सुपरवाईजर /वाहन चालक आदि** जो भी लगाये जायेगें, बिल उसी कार्यालय में प्रस्तुत करने होगें तथा उसी कार्यालय द्वारा भुगतान नियमानुसार टी.डी. एस. आदि जो लागू हो, काटकर किया जायेगा।
39. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रकृति, श्रमिको हेतु Helpline नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधानों का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।
40. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिको का नियमानुसार ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई.की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

Scanned with CamScanner

41. संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिको को देय राशि पर जीएसटी (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये जीएसटी (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। जीएसटी (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में जीएसटी (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में जीएसटी (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

42. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशोंकी पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

43. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिको के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये संवेदक, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

44. नियोजित श्रमिको को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम,1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिको को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन,छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

45. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

46. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत संस्था को प्राप्त होती है, तो संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी। और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।

47- संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात् कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग के संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जावेंगी।

48. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि बिडदाता द्वारा कार्यादेश में वांछित अवधि समाप्त होने पर तथा समस्त कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण होने पर ही लौटाई जा सकेगी अन्यथा स्थिति में यह पूर्ण रूप से/अंशतः सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा RTPP नियम 2013 के नियमो के तहत जब्त की जा सकेगी।

Scanned with CamScanner

49. सेवा सम्पादन के दौरान मैन पॉवर की किसी प्रकार की दुर्घटना या भारत/राजस्थान में प्रचलित किसी कानून/नियम/अधिनियम/उपनियम के उल्लंघन की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी बिडदाता की होगी। सेवा हेतु रखे गए श्रमिक सेवा ईकाई की समस्त प्रकार की जिम्मेदारी बिडदाता की होगी। सफल बिडदाता को जिम्मेदार अधिकारी/व्यक्ति का नाम, पता व मोबाइल नम्बर उपलब्ध करवाना होगा ताकि कार्य सुचारू रूप से हो सके।

50. दर संविदा की अवधि <u>एक</u> वर्ष के लिए होगी तथा जो RTPP नियम 2013 के नियम के अनुसार 03 माह बढाई जा सकती है।

51. दोनों पक्षो को उक्त अनुबंध पत्र की प्रत्येक शर्त का अक्षरशः पालन करना होगा। यदि बिडदाता उक्त शर्तों का उल्लंघन करता है तो अनुबंध पत्र किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जाएगा, तथा उक्त कार्य अनुबंधकर्त्ता की risk and cost पर अन्य व्यक्ति से करा लिया जाएगा। यदि करार के पश्चात् चाही गई मैनपावर में किसी प्रकार की बढ़ोतरी/कमी होती है तो आनुपातिक आधार पर पैकर्स सेवाएं बढ़ाई/घटाई जा सकती है।

52. बिल का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। सफल बिडदाता सेवा प्रदाता को प्रतिमाह संबंधित इकाई प्रभारी अधिकारी से सेवा संतोषजनक होने का प्रमाणीकरण करवाकर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बिल संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करने होगें जिसके आधार पर संबंधित कार्यालय द्वारा भुगतान किया जा सकेगा। उक्त सेवाओं के बदले निगम के संबंधित कार्यालय द्वारा सेवाओं के संतोषजनक पाये जाने पर मासिक आधार पर भुगतान समेकित रूप से बिडदाता सेवा प्रदाता को rtgs/neft/ चैक द्वारा किया जाएगा।

53. बिडदाता (सेवा प्रदाता) को मासिक आधार पर सेवाओं के संतोषजनक होने पर भुगतान किया जाएगा एवं अन्य किसी भी तरह की जिम्मेदारी से निगम मुक्त होगा। अर्थात् वर्णित सेवाओं के किए जाने वाले भुगतान तथा अन्य किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से निगम मुक्त होगा।

54. बिड की किसी भी शर्त/शर्तों के संबंध में प्रबन्ध निदेशक राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड जयपुर का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

55. किसी भी कार्यादेश को निरस्तीकरण पेटे बिना कोई भुगतान किए पूर्णतः/आंशिक रूप से निरस्तीकरण के सम्पूर्ण अधिकार निगम को होगें लेकिन यह मात्र असामान्य/विशेष परिस्थितियों में ही हो सकेगा।

56. **किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्टेड फर्म अपात्र मानी जाएगी। यदि फर्म ने इस तथ्य को छिपाते हुए अपनी ई–बिड प्रस्तुत की है तो फर्म की कार्य संम्पादन प्रतिभूति (performance security) जब्त करते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जाएगा।**

Scanned with CamScanner

57. करार से उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा इस करार पत्र के निर्वचन या व्याख्या से संबंधित सभी प्रश्न निगम द्वारा विनिश्चित किये जायेगे तथा निगम का निर्णय अन्तिम होगा।

इसके साक्ष्य में इसके पक्षकारो ने आज दिनांक .... को अपने हस्ताक्षर किये।

महाप्रबन्धक (प्रशासन)
राराखानाआनि जयपुर के हस्ताक्षर

साक्षी :–

(1) हस्ताक्षर :– ....

नाम :– ....

पता :– ....

टेलीफोन नं :– ....

(2) हस्ताक्षर :– ....

नाम :– ....

पता :– ....

टेलीफोन नं :– ....

अनुमोदित सेवाप्रदाता फर्म के हस्ताक्षर

साक्षी :–

(1) हस्ताक्षर :– ....

नाम :– ....

पता :– ....

टेलीफोन नं :– ....

(2) हस्ताक्षर :– ....

नाम :– ....

पता :– ....

टेलीफोन नं :– ....

Scanned with CamScanner

RAJASTHAN STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LIMITED.
(A State Government undertaking)
Head Office: 5th floor, KisanBhawan,LalKothi, Tonk Road, Jaipur-302015
Phone: 0141- 2744652, 0141-2744649, General
Fax No. 0141-2741924, ,E-Mail: rsfcsc@gmail.com
CIN : U63023RJ2010SGC033489

प्रपत्र 'द'

वित्तीय बिड

नोटः– (केवल ऑनलाईन ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर भरा जाना है)

बोलीदाता /संवेदक का नाम एवं पता :–

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की प्रकृति एवं अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (प्रति व्यक्ति प्रतिमाह)	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर (प्रतिमाह) (न्यूनतम से कम न हो)	EPF की राशि 12% के आधार पर (प्रति व्यक्ति प्रतिमाह)	ESI की राशि 3.25 % के आधार पर (प्रति व्यक्ति प्रतिमाह)	सेवाप्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (प्रति व्यक्ति प्रतिमाह) (रूपये में)	कुल राशि (प्रति व्यक्ति प्रतिमाह)	
								अंको में	शब्दो में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सुरक्षा गार्ड/चौकीदार आदि	कुशल– ... 03	7176		861.12	233.22			
2	सुपरवाईजर आदि	कुशल–... 01.	7176		861.12	233.22			
3	हल्के एवं भारी वाहनो /मोटर गाड़ियो के वाहन चालक (ड्राईवर) आदि	कुशल–02	7176		861.12	233.22			

नोटः–

वित्तीय **बिड** में फर्म द्वारा सेवा शुल्क (Service Charges) शून्य राशि भरे जाने पर स्वीकार्य नही होगी एवं वित्तीय बिड निरस्त मानी जायेगी । सर्विस चार्ज की राशि प्रति व्यक्ति प्रतिमाह प्रस्तुत की जायेगी।

Scanned with CamScanner